न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 173/2017/225 आर टी ए

करतारसिंह पुत्र बहादूरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 10 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. बलजिन्द्र सिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद भागू रोड़ बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
2. कुलवीरसिंह पुत्र सुखदर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–––असल रेस्पोडेंटस

3. कर्मसिंह पुत्र बहादूरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 10 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. अमरजीत सिंह पुत्र बहादूरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 10 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 23.05.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी संगरिया प्र0सं0 27/2014 बअनवानी बलजिन्द्रसिंह आदि बनाम कर्मसिंह आदि

उपस्थित :–
श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता अपीलांट
श्री वतनदीपसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

निर्णय दिनांकः–23.04.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि मे रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा चक 1 एनटीडब्ल्यू के प.न. 191/159 मु.न. 23 कि.न. 16 व 25 मे 2–2 बिस्वा रास्ता चाहा गया था जिस पर दिनांक 28.12.2016 को तहसीलदार संगरिया द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसमे प.न. 192/159 मु.न. 24 कि.न. 4 व 5 मे से रास्ता स्वीकृत हो सकने की अनुशंषा की गई तथा तहसीलदार संगरिया द्वारा अपनी रिपोर्ट मे यह भी अंकित किया गया कि प.न. 192/159 मु.न. 24 कि.न. 4 व 5 से अगर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा चाहे गये रास्ते से कि.न. 4 व 5 मे से रेस्पो0 सं. 1 व 2 को

अपनी आराजी मे जाने के लिए निकटतम रास्ता दिया जा सकता है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर गौर न कर कानूनी भूल की है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कानूनन जो सबसे निकटतम रास्ता है, को ही स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट कि.न. 4 व 5 मे सबसे निकटतम रास्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2 की भूमि के लिए स्वीकृत किया जा सकता था। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 व 4 लघु काश्तकार है। प्रश्नगत रास्ता जो स्वीकृत किया गया, उससे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 व 4 की भूमि के दो टुकडे हो जायेगें। दिनांक 08.05.2017 से 30.06.2017 न्याय आपके द्वार राजस्व अभियान चल रहे थे जिससे प्रकरण मे कोई भी आगामी पेशी नही दी गई थी तथा नह अपीलांट के अधिवक्ता या अपीलांट को पत्रावली अभियान मे लेकर जाने की किसी प्रकार की सूचना दी गई थी। अपीलांट या अपीलांट के अधिवक्ता को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 को अपने खेत मे आने जाने के लिए रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा चक 1 एनटीडब्ल्यू के प.न. 191/159 मु.न. 23 कि.न. 16 व 25 मे 2–2 बिस्वा रास्ता करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमे पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो सही है। रेस्पो0 सं. 1 को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अगर अपीलाधीन आदेश के जरिये स्वीकृत किया गया रास्ता निरस्त कर दिया जाता है तो रेस्पो0 सं. 1 को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। चक 1 एनटीडब्ल्यू मे मु.न. 24 के कि.न. 4 व 5 मे से होकर कोई भी रास्ता नही है। रेस्पो0 की कृषि भूमि मे आने जाने बाबत मु.न. 23 के कि.न. 16 व 25 मे से होकर ही उचित व सही रास्ता है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर अपने खेत मे आने जाने के लिए चक 1 एनटीडब्ल्यू के प.न. 191/159 मु.न. 23 कि.न. 16 व 25 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया।

Web Copy - Not Official

जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया। जबकि अपीलांट के कथनानुसार चक 1 एनटीडब्ल्यू के प.न. 192/159 मु.न. 24 कि.न. 4 व 5 मे से रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है तथा उक्त रास्ता सबसे निकटतम एवं सुविधाजनक है परन्तु उक्त कि.न. के काश्तकारान को पक्षकार नही बनाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस पक्षकार बनाते हुए बिना अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना मौका निरीक्षण किये राजस्व कैम्प के दौरान अपीलाधीन निर्णय के जरिये स्वीकृत कर दिया। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा पक्षकारान को सूचित करते हुए मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण किया जाना आपेक्षित है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकारान को आवश्यक पक्षकार के रूप मे संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.05.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official